संख्या-3127/II-2004-03-(01)/2003

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक 21 अगस्त,/2004

विषयः- **वित्तीय वर्ष-2004-05 के लिए आयोजनागत मदों मे द्वितीय किस्त के रूप में धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0-554/वि0अनु0-1/2004 दिनांक 30.07.2004 शासनादेश सं0 1498/II-2004-03 (01)/03 दिनांक 22.04.2004 के क्रम में एवं आपके पत्र सं0 2291/मु0अ0वि0/बजट/बी-1/सामान्य दिनांक 28.07.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में कार्यो के लिए संलग्न विवरणानुसार रू0 766.00 लाख (रूपये सात करोड़ छासठ लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5- जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

क्रमश.......2

6— अब तक स्वीकृत की गयी धनराशि के पूर्ण उपभोग का एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अन्तिम किस्त अवमुक्त की जायेगी।

7— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–86''क''/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 18 अगस्त 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या–3127/II–2004–03–(01)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1— महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3— श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5— निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7— समस्त कोषाधिकारी /जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
8— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश सं0 3127/ ।।-2004-03(01)/03 दिनांक 21 अगस्त 2004 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
	4701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
	01-मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक				
1	121-जमरानी बॉध				
	03-निर्माण कार्य				
	24-बृहद निर्माण कार्य	10.00	10.00	3.33	3.335
2	140-नलकूपों का निर्माण				
	91-नलकूपों का निर्माण (जिला योजना)				
	24-बृहद निर्माण	300.00	300.00	100.00	100.00
3	142-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें(जि0यो0)				
	91-निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें (जि0यो0)				
	24-बृहद निर्माण कार्य	1153.00	1153.00	384.33	384.335
4	143-उत्तरांचल की लघु ढाल नहरों का पुनरोद्धार(जि0 यो0)				
	03-निर्माण कार्य				
	24-बृहद निर्माण कार्य	110.00	110.00	36.67	36.665
5	800-अन्य व्यय				
	03-मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक				
	052-मशीनरी तथा उपस्कर				
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00	1.67	1.665
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण संयत्र	5.00	5.00	1.67	1.665
6	003-प्रशिक्षण				
	03-निर्माण कार्य				
	42-अन्य व्यय	25.00	25.00	8.33	8.335

क्र0 सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6
7	004–शोध कार्यक्रम का विस्तार				
	03–निर्माण कार्य				
	42–अन्य व्यय	45.00	45.00	15.00	15.00
8	005–सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाऊ बॉध सम्मिलित करते हुए)				
	03–निर्माण कार्य				
	42–अन्य व्यय	120.00	120.00	40.00	40.00
9	4711–बाढ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	01–बाढ नियन्त्रण				
	103–सिविल निर्माण कार्य				
	03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी मे सुधार तथा कटाव				
	24–वृहद निर्माण कार्य	600.00	550.00	200.00	175.00
	योग	2373.00	2323.00	791.00	766.00

(रूपये सात करोड़ छासठ लाख मात्र)

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।